



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(बैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : www.hindivishwa.org

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 25 जून, 2022 (शनिवार)
समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान : महादेवी वर्मा सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

गांधी हिल परिसर





महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	25.06.2022 (शनिवार)
समय	:	पूर्वाह्न 10:30 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत।	
1.	अध्यादेश क्रमांक 8, अध्यादेश क्रमांक 9, 11 और 12 में संशोधन।	1-3
2.	“भाषा साहित्य एवं संस्कृत केंद्रित पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र” एवं “वर्धा समाज कार्य संस्थान” की स्थापना के लिए निर्मित अध्यादेश।	
3.	मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से अकादमिक विभागों का विद्यापीठ स्तर पर एकीकृत संचालन/प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव।	4
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यचर्या।	
5.	अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों (UG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों का विवरण।	
6.	अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार परास्नातक कार्यक्रमों (PG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों का विवरण।	5
7.	अकादमिक वर्ष 2022-23 से संचालित नियमित कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क।	
8.	विश्वविद्यालय की Intake Capacity (प्रवेश क्षमता) के संबंध में विचार।	
9.	अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत संगीत पाठ्यक्रमों का संचालन।	6
10.	विगत तीन वर्ष से पहले (वर्ष 2019 से पूर्व) के परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को Paper Shredder मशीन से नष्ट कर सामग्री पुनः उपयोग में लाने संबंधी प्रस्ताव।	
11.	सत्रांत परीक्षाओं के टेबुलेशन शीट को दो प्रतियों में रखना।	
12.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	7-8



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक का कार्यवृत्त

स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा
दिनांक	:	25 जून, 2022(शनिवार)
समय	:	पूर्वाह्न 10:30 बजे

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2022 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा विभाग
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ (ऑनलाइन) अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.पयु.गुरुजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, समाजशास्त्र विभाग
5.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ (ऑनलाइन) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभागाध्यक्ष, मराठी, संस्कृत विभाग
6.	प्रो. एल. कारुण्यकरा	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ (ऑनलाइन) निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र निदेशक, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, सिदो कान्हू मुर्मु दलित एवं

		जनजाति अध्ययन केंद्र (ऑनलाइन)
7.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर	अधिष्ठाता, शिक्षा एवं प्रबंधन विभाग विभागाध्यक्ष, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विभाग
8.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग (ऑनलाइन)
9.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
10.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
11.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
12.	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग
13.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (ऑनलाइन)
14.	प्रो. शिरीष पाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
15.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग
16.	प्रो. प्रीति सागर	विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
17.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
18.	प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
19.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	कार्यकारी अध्यक्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
20.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
21.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग
22.	डॉ. सुप्रिया पाठक	विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
23.	डॉ. जयंत उपाध्याय	विभागाध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
24.	प्रो. नमिता निम्बालकर	बाह्य-विशेषज्ञ (ऑनलाइन)
25.	डॉ. उमेश कुमार सिंह	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
26.	डॉ. के. बालराजू	एसोशिएट प्रोफेसर, म.गां.पयु.गुरुजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
27.	डॉ. राकेश कुमार मिश्रा	एसोशिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
28.	डॉ. शंभू जोशी	एसोशिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
29.	डॉ. चित्रा माली	सहायक प्रोफेसर, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता (ऑनलाइन)
30.	डॉ. संदीप कुमार वर्मा	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
31.	डॉ. राजेश लेहकपुरे	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
32.	डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि (ऑनलाइन)
33.	डॉ. अजय कुमार सिंह	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि (ऑनलाइन)
34.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि

कादर खान

2

35.	श्री कादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव
36.	श्री पी. सरदार सिंह	वित्त अधिकारी (स्थायी आमंत्रित)

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या-परिषद के सहयोग के लिये अधोलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :

1. श्री सुशील पखिडे सहायक कुलसचिव
2. श्री राजेश अरोड़ा सहायक कुलसचिव
3. श्री विनोद वैद्य सहायक कुलसचिव

बैठक का आरंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुआ। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रो. एम. वेंकटेश्वर, (सेवानिवृत्त), हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके विद्या-परिषद सदस्य के रूप में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

विश्वविद्यालय परिनियम 14 (1) (जे) के प्रावधान के अंतर्गत प्रो. टी. वी. कट्टिमणि, कुलपति, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्रप्रदेश को दो वर्ष की अवधि के लिये विद्या-परिषद का सदस्य नामित किये जाने पर विद्या-परिषद ने उनका स्वागत किया।

मद संख्या-1

अध्यादेश क्रमांक 8, अध्यादेश क्रमांक 9, 11 और 12 में संशोधन।

विद्या-परिषद की 41वीं बैठक में मद संख्या-8(6) के तहत लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-8 Hall of Residence एवं 9-Student Discipline और अध्यादेश 11-The Dean of Student Welfare एवं अध्यादेश क्रमांक 12-The Proctor से संबंधित अध्यादेशों की समीक्षा कर उनमें संशोधन के लिए प्रतिकुलपति प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

समिति की अनुशंसाएँ विद्या-परिषद के समक्ष पृष्ठ संख्या 5 से 12 पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय : विद्या-परिषद ने चर्चा के उपरांत समिति द्वारा अध्यादेश क्रमांक 8, अध्यादेश क्रमांक 9, 11 और 12 में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।

कादर नवाज़
25/06/22

मद संख्या-2

“भाषा साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र” एवं “वर्धा समाज कार्य संस्थान” की स्थापना के लिए निर्मित अध्यादेश।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 26-3/2022-CU.IV दिनांक 12.04.2022 के आलोक में “भाषा साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र” एवं “वर्धा समाज कार्य संस्थान” की स्थापना के लिए निर्मित अध्यादेश विद्या-परिषद के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : विद्या-परिषद ने “भाषा साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र” एवं “वर्धा समाज कार्य संस्थान” की स्थापना के लिए निर्मित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या-3

मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से अकादमिक विभागों का विद्यापीठ स्तर पर एकीकृत संचालन/प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव।

मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से अकादमिक विभागों का विद्यापीठ स्तर पर एकीकृत संचालन/प्रबंधन किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : विद्या-परिषद ने मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से अकादमिक विभागों का विद्यापीठ स्तर पर एकीकृत संचालन/प्रबंधन को कार्यान्वित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद संख्या-4

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यचर्या।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय और उसके साथ अन्य ऐच्छिक पाठ्यचर्याएँ चुनने का विकल्प विद्यार्थियों के पास होगा। मुख्य विषय और ऐच्छिक पाठ्यचर्याओं के बीच प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट वितरण का अनुपात 60 : 40 होगा। शेष व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार ही रहेंगी।

निर्णय : मुख्य विषय और ऐच्छिक पाठ्यचर्याओं के बीच प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट वितरण में 60 : 40 के अनुपात के साथ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय

कादर भास्कर
25/06/22

और उसके साथ अन्य ऐच्छिक पाठ्यचर्याएँ चुनने का विकल्प विद्यार्थियों को देने के प्रस्ताव से विद्या-परिषद अवगत हुई।

मद संख्या-5

अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों (UG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों का विवरण।

शिक्षा मंत्रालय, (एमओई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (Common University Entrance Test)-2022 शुरू किया गया गया है।

सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (Common University Entrance Test)-2022 के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता वाले आवेदनों की अद्यतन स्थिति विद्या-परिषद के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 32062 प्रथम वरीयता वाले आवेदन प्राप्त हुए। विद्या-परिषद ने इसका संज्ञान लिया।

मद संख्या-6

अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार परास्नातक कार्यक्रमों (PG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले दिनांक 16.06.2022 तक प्राप्त आवेदनों का विवरण।

शिक्षा मंत्रालय, (एमओई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (Common University Entrance Test)-2022 शुरू किया गया गया है।

सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (Common University Entrance Test)-2022 के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में परास्नातक कार्यक्रमों (PG) में प्रवेश हेतु दिनांक 16.06.2022 तक प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों की अद्यतन स्थिति विद्या-परिषद के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया।

परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.07.2022 है।

कारर राज
25/06/22
5

निर्णय : सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 49228 प्रथम वरीयता वाले आवेदन प्राप्त हुए। विद्या-परिषद ने इसका संज्ञान लिया।

मद संख्या-7

अकादमिक वर्ष 2022-23 से संचालित नियमित कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क।

विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क में संशोधन किया गया है जिसे विद्या-परिषद के समक्ष पृष्ठ संख्या 13 से 17 पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या-परिषद ने अकादमिक वर्ष 2022-23 से संचालित नियमित कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क का संज्ञान लिया।

मद संख्या-8

विश्वविद्यालय की Intake Capacity (प्रवेश क्षमता) के संबंध में विचार।

निर्णय : विद्या-परिषद ने चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय की Intake Capacity (प्रवेश क्षमता) को जिस विभाग में 15 सीटें हैं उन्हें 40 सीटें और 30 को 50 सीटें करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-9

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत संगीत पाठ्यक्रमों का संचालन।

विश्वविद्यालय के अधिनियम क्रं. 22 के तहत वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के तहत शोध एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच अनुबंध किया गया है।

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के साथ हुए अनुबंध के तहत विश्वविद्यालय में संगीत पाठ्यक्रमों को संचालित करवाने के लिए पाठ्यक्रमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे विद्या-परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय : विद्या-परिषद ने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई द्वारा प्रस्तुत संगीत पाठ्यक्रमों चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान की

कादर राज
25/06/22

मद संख्या-10

विगत तीन वर्ष से पहले (वर्ष 2019 से पूर्व) के परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को Paper Shredder मशीन से नष्ट कर सामग्री पुनः उपयोग में लाने संबंधी प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में उपयोग किये गये उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है। कई वर्ष पुराने उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव में जगह और मानव श्रम का व्यय होता है।

अतः विगत तीन वर्ष से पहले (वर्ष 2019 से पूर्व) के परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को Paper Shredder मशीन से नष्ट कर उस सामग्री को पुनः कागज बनाने में उपयोग किया जा सकता है। प्रस्ताव विद्या-परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या-परिषद ने विगत तीन वर्ष से पहले (वर्ष 2019 से पूर्व) के परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं में प्रत्येक विभाग की 3 उच्च गुणवत्ता प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं सुरक्षित रखकर शेष को Paper Shredder मशीन से नष्ट कर सामग्री पुनः उपयोग में लाने को स्वीकृति प्रदान की

मद संख्या-11

सत्रांत परीक्षाओं के टेबुलेशन शीट को दो प्रतियों में रखना।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का टेबुलेशन किया जाता है। यह टेबुलेशन शीट को दो प्रतियों में रखने का प्रस्ताव है ताकि एक प्रति परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जा सके तथा दूसरी प्रति विविध कार्यों में प्रयुक्त की जा सके।

निर्णय : विद्या-परिषद ने सत्रांत परीक्षाओं के टेबुलेशन को दो प्रतियों में एक प्रति परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने तथा दूसरी प्रति को विविध कार्यों में प्रयुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की

मद संख्या-12

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. विद्या-परिषद ने विश्वविद्यालय में योग के संबंध में कुछ पाठ्यक्रम चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, विवेकानंद केंद्र से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रो. चंद्रकांत रागीट, प्रतिकुलपति को नामित किया गया।

कादर वासु
25/06/22

2. राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के साथ हिंदी और सिंधी भाषा के प्रगति के लिए संयुक्त कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, प्रतिकुलपति को नामित किया गया।
3. अध्यक्ष ने विद्या-परिषद को अवगत कराया कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ संयुक्त प्रयास से विश्वविद्यालय में 'संस्कृतभाषा-प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम' और 'संस्कृतभाषा-दक्षता-पाठ्यक्रम' को चलाये जाने का निर्णय लिया गया।
4. विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

कादर नवाज 25/06/22
(कादर नवाज खान)

कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या-परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा